न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–रामरतन सौंकरिया, आर.ए.एस.

1. अपील संख्या 191 / 15 निर्णय दिनांकः– 27–11–2019
(आरसीएमएस संख्या 2015 / 00265)

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र माणकचन्द जाति कोचर निवासी गंगाशहर तहसील व जिला, बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, कोलायत।

–रेस्पोडेन्ट्

2. अपील संख्या 192 / 15
(आरसीएमएस संख्या 2015 / 00265)

विमलचन्द पुत्र माणकचन्द जाति कोचर निवासी गंगाशहर तहसील व जिला, बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, कोलायत।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 23–04–2014
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः–

1. श्री जयचन्दलाल सारस्वत, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियाँ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपीलें सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बज्जू के आदेश दिनांक 23–04–2014 जिसके द्वारा अपीलांट्स का रिमाण्ड प्रकरण बिना सुने एकतरफा तौर पर अदम हाजरी में खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner

में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. उपरोक्त दोनों अपीलों में वैधानिक बिन्दु समान होने के कारण दोनों पत्रावलियों का निस्तारण एक समान निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की एक–एक प्रति दोनों पत्रावलियों में सुरक्षित रखी जावे।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने दोनों अपीलों में कॉमन बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट् राजेन्द्र कुमार पुत्र माणकचन्द को तहसील कोलायत में चक 4 पीएसएम II के मुरब्बा नम्बर 181/11 के किला नम्बर 1 ता 25 में तादादी 25 बीघा भूमि व अपीलांट विमलचन्द पुत्र माणकचन्द को चक 4 पीएसएम II के मुरब्बा नम्बर 140/11 के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 25 बीघा भूमि का आवंटन किया गया तथा आवंटन पश्चात् आवंटन पट्टा जारी करते हुए मौके पर कब्जा भी सुपुर्द कर दिया गया। तभी से अपीलांट्स अपनी आवंटितशुदा भूमि पर काबिज काश्त है। तत्पश्चात् दिनांक 02–06–1997 को अपीलांट्स के आवंटन इस आधार पर खारिज कर दिये गये कि अपीलांट्स का पेशा सद्भावी काश्तकार नहीं है। अतः अपीलांट्स के उपरोक्त आवंटन खारिज किये जाते है। उपरोक्त आदेश के विरूद्व माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा दिनांक 30–03–2000 को अपीलांट्स की निगरानी स्वीकार करते हुए प्रकरण सहायक आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की गई थी कि वे प्रकरण राज्य पक्ष को नोटिस देकर सुनवाई का अवसर देते हुए मियांद के प्रश्न पर विचार करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

उन्होनें आगे बताया कि उपरोक्त रिमाण्ड आदेशों के अनुसरण में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट्स को किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी नहीं किये गये। यदि जारी किये भी गये है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। इसप्रकार अदालत मातहत ने मात्र यह अंकित करते हुए कि अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। प्रार्थी बावजूद सूचना के सबूत प्रस्तुत नहीं किये गये है। अतः अपीलांट्स के प्रकरण निरस्त किये जाते है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपीलें स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner

उन्होंने गियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियाद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट्स ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 23–04–2014 के विरूद्व अपीलें दिनांक 17–02–15 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट्स का प्रकरण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आने के कारण खारिज किया गया है। अपीलांट्स अपने अधिकारों के प्रति लम्बे समय तक सावचेत नहीं रहा है। अतः अपीलांट अब इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 23–04–2014 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 17–02–2015 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

हस्तगत् प्रकरण में आवंटन अधिकारी द्वारा अपीलांट् राजेन्द्र कुमार पुत्र माणकचन्द को तहसील कोलायत में चक 4 पीएसएम II के मुरब्बा नम्बर 181/11 के किला नम्बर 1 ता 25 में तादादी 25 बीघा भूमि व अपीलांट विमलचन्द पुत्र माणकचन्द को चक 4 पीएसएम II के मुरब्बा नम्बर 140/11 के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 25 बीघा भूमि का आवंटन किया गया तथा आवंटन पश्चात् आवंटन पट्टा जारी करते हुए मौके पर कब्जा भी सुपुर्द कर दिया गया। तत्पश्चात् अपीलांट्स के आवंटन को एकतरफा तौर पर खारिज करने पर अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर उपरोक्त रिव्यू प्रार्थना पत्र भी सद्भावी काश्तकार नहीं होने के आधार पर खारिज कर दिये गये। उपरोक्त खारिजी आदेशों के विरूद्व माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में निगरानी प्रस्तुत करने पर माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया था कि **"राज्य पक्ष को नोटिस**

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

Scanned by CamScanner

देकर सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए मियांद के प्रश्न पर विचार करते हुए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्रों पर पुनः विधिवत् निर्णय पारित करें।"

इस संबंध में हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों व अपीलाधीन निर्णय का भी अवलोकन किया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिमाण्ड आदेशों के अनुसरण में अपीलांट्स को नोटिस जारी किया जाना तो प्रतीत होता है, परन्तु उपरोक्त नोटिस की विधिवत तामीली के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है जिससे साबित होता हो कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की विधिवत तामील अपीलांट्स पर हो चुकी है अथवा नहीं? चूंकि प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा रिमाण्ड किया गया है ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को मात्र सरसरी तौर पर प्रकरण का निस्तारण करने के स्थान पर पक्षकारों को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए व रिमाण्ड आदेशों के अनुसरण में सर्वप्रथम मियांद के बिन्दु को अभिनिर्धारित करते हुए निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व ना तो अपीलांट्स को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किया गया ना ही राज्य पक्ष को सुना गया। इस प्रकार अदालत मातहत का अपीलाधीन आदेश स्पष्ट रूप से माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के रिमाण्ड आदेशों के विपरीत पारित किया गया आदेश है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि किसी भी पक्षकार को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत पारित किया गया आदेश की श्रेणी में आता है। जिसकी पुष्टि किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

8. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट्स की अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 23-04-2014 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-03-2000 के अनुसरण में अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत तरीके से निर्णय पारित करें। अपीलांट को जरिये अभिभाषक निर्देशित किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 24-01-2020 को उपस्थिति होकर अपना मत व्यक्त करें।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 27-11-2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामरतन सौंकरिया)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2019.12.05 17:41:04 IST
Reason: SelfAttested
Location: